रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 1977/श्रावण 18, 1899

No. 268] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 1977/SRAVANA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th August 1977

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 89/77-CE dated 9th May, 1977, namely:—

In the said notification, for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation*.—For the purposes of this notification, where footwear, manufactured by a manufacturer, is affixed with the brand or trade name registered or not, of another manufacturer or trader, it shall not, merely by reason of that fact, be deemed to have been manufactured by or on behalf of such other manufacturer or trader."

[No. 269/77]

B. PROSAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 564 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना स० 88/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे, विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् —

"**स्पष्टीकरण** :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, जहां किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित जूतो पर किसी अन्य विनिर्माता या व्यापारी का ब्राड या व्यापार—नाम, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, लगाया जाता है, वहां वे केवल उसी तथ्य के कारण से, उस अन्य विनिर्माता या व्यापारी द्वारा, या उसके निमित्त, विनिर्मित किए गए नही समझे जायेंगे "।

[स० 269 77

बी० प्रसाद, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977